सिविल - राजकुमार द0 नं0 128/16

दिनांक	आज्ञा पत्र
22/6/18	वकालायत फरीकैन उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।
	बहस बगौर समाअत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
	वादीगण/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश कर भूमि खसरा नं0 98/3, 118/5, 127/2, 127/5 कुल किता-4 रकबा 5.11 हेक्टेयर, खसरा नं0 127/4 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा नं0 129 रकबा 0.13 हेक्टेयर वाके ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर जिसका पूर्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	खसरा नं० 98 रकबा 7.26 हैक्टर, ख०नं० 118 रकबा 4.85 हैक्टर, ख०नं० 127 रकबा 3.32 हैक्टर, ख०नं० 129 रकबा 0.13 हैक्टर थे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं०-1 से 5 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी पैत्रिक होने से वादीगण ने अपने हिस्से की उद्घोषणा एवं हिस्से के अनुसार बंटवारा ~~ छछ छछछछ~~ कर खाता अलग अलग किये जाने का निवेदन किया। दावा आदेशिका के अनुसार दिनांक 6-5-2015 को साक्ष्य वादी में नियत थी इसके बाद दो पेशी मोहर लगाकर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य पर होने से पेशी दी गई। तथा बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये ही अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व दावे में विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण को न्याय हित में विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर दावे का साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित एवं विधिक मानते है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दि० 7-7-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण विधिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुये पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत मे दि० 10-8-2018 को उपस्थित होवें।	
	निर्णय सुनाया गया।	
	22/6/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	